भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2267
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगार युवा

2267. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सम्पूर्ण भारत के राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए रोजगार सृजन और प्लेसमेंट बढ़ाने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से चयनित युवाओं की चयन-सूची क्या है;

(ङ) क्या सरकार को देश में बेरोजगारी अनुपात की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): रोजगार कार्यालयों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के पास है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवाने वाले रोजगार-चाहने वालों, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की उपलब्ध सीमा तक संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग से च): सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इस परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार संबंधी सेवाएं वितरित करने के लिए राज्यों और अन्य संस्थानों के सहयोग से आदर्श कैरियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करना शामिल है ताकि रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को जुटाने, जिला स्तर पर करियर परामर्श प्रदान किया जा सके। मंत्रालय आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अनुदान-सहायता प्रदान करता है। एनसीएस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ भी आपस में जोड़ा गया है। इस घटक के तहत, मंत्रालय राज्य सरकारों को रोजगार मेले आयोजित करने, सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन और मौजूदा रोजगार कार्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है।

रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस, 2018-19 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर 5.8% है।

सरकार ने 27 लाख करोड़ रु. से अधिक का आर्थिक पैकेज प्रदान किया है एवं आत्मनिर्भर भारत की वकालत की है। युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर आधारित है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया था। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2267 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों का उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

		चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले (लाख में)	
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017**	**2018# (अक्तूबर तक)**
1	आंध्र प्रदेश	9.23	9.68
2	अरुणाचल प्रदेश	1.03	1.11
3	असम	19.07	18.78
4	बिहार	7.90	7.91
5	छत्तीसगढ	23.11	23.19
6	दिल्ली	12.63	12.63
7	गोवा	1.19	1.19
8	गुजरात	5.32	4.82
9	हरियाणा	6.24	7.35
10	हिमाचल प्रदेश	8.35	8.46
11	जम्मू और कश्मीर	2.33	2.32
12	झारखंड	4.79	4.42
13	कर्नाटक	3.39	3.45
14	केरल	35.00	33.71
15	मध्य प्रदेश	19.56	19.32
16	महाराष्ट्र	37.15	41.31
17	मणिपुर	3.73	3.54
18	मेघालय	0.41	0.36
19	मिजोरम	0.36	0.37
20	नागालैंड	0.69	0.75
21	ओडिशा	10.08	9.79
22	पंजाब	3.14	3.13
23	राजस्थान	5.67	6.29
24	सिक्किम *	-	-
25	तमिलनाडु	74.70	74.63
26	तेलंगाना	9.57	9.62
27	त्रिपुरा	2.89	2.94
28	उत्तराखंड	9.10	8.63
29	उत्तर प्रदेश	27.11	22.59
30	पश्चिम बंगाल	77.61	77.61
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.43	0.43
32	चंडीगढ़	0.19	0.18
33	दादर एवं नगर हवेली	0.09	0.09
34	दमन और दीव	0.10	0.10
35	लक्षद्वीप	0.19	0.19
36	पुडुचेरी	2.12	2.20
	योग	**424.45**	**423.07**

टिप्पणी: * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है; # अनंतिम;
हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

स्रोत: राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर रोजगार महानिदेशालय, एमओएल और ई द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी।